सं.24/246/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 30 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री जय किशन,
सुपुत्र- स्व0 श्री पतराम,
गांव- बाजीत पुर,
पोस्ट-नांगल ठाकरान,
दिल्ली-110039

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

---

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 19.05.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में उपभोक्ता मामले विभाग से दिनांक 18.06.2014 को आवेदन पत्र के बिन्दु 5\ के द्वितीय भाग में मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा उक्त बिन्दु में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग ने उक्त बिन्दु के द्वितीय भाग में मांगी गई सूचना प्रदान करने के लिए आपके आवेदन पत्र की एक प्रति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी अंतरित किया है जो कि इस बिन्दु में मांगी गई सूचना से निकट रूप से संबंधित है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

**प्रति, उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2014 की एक प्रति के साथः** अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

**प्रति सूचनार्थः** श्री पी.सी. गुईते, अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को पत्र सं0 22/20/2014-CWF/Embl. दिनांक 09.06.2014 के संदर्भ में ।

F.No. 22/20/2014-CWF/Embl.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली ।

दिनांक 09 जून, 2014

(371)

30134

01/07/14

सेवा में

श्री जयकिशन,
सुपुत्र स्व. श्री सतराम,
मकान न. 327ए,
गांव बाजीत पुर, ठाकरान,
पोस्ट नांगल ठाकरान,
दिल्ली- 110039

विषय:- सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत आवेदन ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आपके दिनांक 19 मई, 2014 के द्वारा मांगी गई सूचना इस प्रकार है:-

| | |
|---|---|
| बिन्दु 1-3, 5A- 5I, 5L,5N-5P | मांगी गई सूचना प्रश्न है, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशंन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/2008-आई.आर. के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश के पैरा -9 के अनुसार केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियन्त्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। |
| बिन्दु-2(आंशिक) | यह विभाग संबंधित पंजीयक/विभाग के माध्यम से प्राप्त मामलों पर ही विचार करता है। |
| बिन्दु- 4 | यह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित है, सूचना के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है। |
| बिन्दु 5J | मांगी गई सूचना अनुभाग में संकलित रुप में उपलब्ध नहीं है। |
| बिन्दु 5K | इस विभाग के वेबसाईट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध है। |

....2

बिन्दु 5 M इस कार्य के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि यह मामलें की प्रकृति पर निर्भर करता है।

बिन्दु 5N(द्वितीय भाग) यह सूचना गृह मंत्रालय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। सूचना के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है।

इस मामले में सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री जी.एन. सिहं, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001 को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

भवदीय

(पी.सी.गुईते)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सह
अवर सचिव, भारत सरकार

1. गृह मंत्रालय( श्री पाण्डेय प्रदीप कुमार, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सह अवर सचिव) नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदन के बिन्दु 5N के भाग-2, द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाता है।
2. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सह उप निदेशक (श्री मनीष किशोर सिन्हा), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्लाट संख्या 5-बी, सातवां तल, ए एवं बी बिंग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 को आवेदन के बिन्दु 4 द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाता है।
3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सह अवर सचिव) शास्त्री भवन, नई दिल्ली को आवेदन के बिन्दु 5N के भाग-2, द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जाता है।

प्रतिलिपि:- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उपभोक्ता मामलें विभाग से अनुरोध है कि 10.00 रुपए मूल्य के संलग्न भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 23 F 414445 को राजकोष में जमा करायें।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

U S (CWF)
21-5-/14
/19/2014/ 12-9/

विषय: सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना सम्बधी आवेदन

महोदय,

1. यदि कोई फर्म/सोसाइटी आदि पंजीकृत है और किसी विभाग को उसके नाम/शीर्षक आदि पर आपत्ति है तो किस प्रकार कार्यवाही की जाएगी और यह कार्यवाही करने के लिए कौन प्राधिकृत है। इस संदर्भ में क्या कार्यवाही बनती है। स्पष्ट करें।
2. क्या भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जो लोगों (Emblems) प्रयोग किए जा रहे है वे पंजीकृत है? क्या उन्होनें भी आपके उपरोक्त मंत्रालय से अनापत्ति ली है? क्या कोई व्यक्ति/संस्था अपने शीर्षक/ट्रस्ट/फर्म/सोसाइटी आदि को पंजीकृत से पूर्व अनापत्ति के लिए स्वयं आपके उपरोक्त मंत्रालय की ला सकता हैं? यदि हां तो नियम एवं दिशा निर्देश आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध कराए।
3. क्या संस्था/ फर्म/ट्रस्ट में महानिदेशक, निदेशक इस प्रकार के पद नहीं हो सकते है। यदि नहीं तो नियम की प्रति उपलब्ध कराए।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस नियम/एक्ट अध्यादेश के तहत संचालित है? प्रति उपलब्ध कराएं। क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का लोगों (Emblems) पंजीकृत है यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध कराए।

5A "The Emblems & Names Act 1950 का Section3 देखें जिसमें United Nation Organisation का नाम प्रयोग करने प्रतिबंध है फिर United Nation Council for Human Relations नामक न्यास कैसे पंजीकृत हुआ क्या नाम वैध है या अवैध। इस पर किस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान है और कार्यवाही के लिए कौन प्राधिकृत हैं? इस प्रकार अनेको संगठन United Nation के नाम से पंजीकृत क्या वे नियमनुसार गल्त है? स्पषट करें।

5B इसी सेक्शन में देखें कि गर्वनर शब्द को प्रतिबंधित किया है फिर लाइन्स क्लब में गर्वनर कैसे नियुक्त किए जा रहे है क्या ये वैध है या अवैध। यदि अवैध है तो सगठन पर कार्यवाही बनता है या व्यक्ति पर किस प्रकार कार्यवाही होगी और कौन प्राधिकृत है? स्पषट करें।

5C. इसी सेक्शन में प्रधानमंत्री शब्द को प्रतिबंधित किया है जबकि बहुत से संगठनो में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है क्या यह वैध है या अवैध है? स्पष्ट करें।

5D इसी सेक्शन में महात्मा गांधी शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है जबकि महात्मा गांधी के नाम से सैकड़ो शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, एन.जी.ओ. खुले हुए स्पष्ट करे कि ये नियमानुसार गल्त है या ठीक।

5E इसी सेक्शन में Parliament शब्द पर प्रतिबंध है। लोक संसद, युवा संसद आदि किस प्रकार पंजीकृत हैं। ससंद भवन के चित्र व नाम के प्रयोग पर किस प्रकार का प्रतिबंध है? इस संदर्भ में सम्बन्धित नियम की प्रति उपलब्ध कराएं।

5F इसी सेक्शन में अशोक चक्र को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि को प्रतिबंधित नहीं किया गया। क्या भारत रत्न, साहित्य रत्न आदि देने पर भी प्रतिबंध है। क्या दिल्ली रत्न, राजधानी रत्न, विश्व रत्न, मित्र रत्न, हिन्दी रत्न, साहित्य रत्न आदि देने पर भी प्रतिबंध है। यदि हां तो नियम की प्रति उपलब्ध कराए?

5G The Emblems & Names Act 1950 केन्द्र सरकार और राज्य सरकार व भारत व राज्य सरकार के उपक्रमों को भारत सरकार का Emblems (सिंह व अशोक चक्र) प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता हैं। क्या राज्य सरकारो के कुछ विभाग को यह लोगो प्रयोग करने की अनुमति है? स्पष्ट करें।

5H क्या कोई संस्था Ambassador of Goodwill नियुक्त नहीं कर सकती है। नियम की प्रति उपलब्ध कराएं

5I यदि किसी पंजीकृत संगठन के शीर्षक पर किसी विभाग या किसी अन्य संगठन को आपत्ति है तो आपत्ति कहां दायर की जा सकती हैं।

5J The Emblems & Names Act 1950 के तहत आपके पास आज तक कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई उन पर क्या कार्यवाही हुई। शिकायतों की प्रति व आर्डर की प्रति प्रदान करें। कितनी शिकायतें अभी लम्बित पडी है। उनका स्टेटस प्रदान करे

5K The Emblems & Names Act 1950 के तहत सम्बंधित नियम/दिशा निर्देश की प्रति प्रदान करें।

5L क्या The Emblems & Names & Names Act 1950 के तहत किसी पंजीकृत संगठन को रद्द किया गया है यदि हां तो आर्डर की प्रति उपलब्ध कराए।

5M आपका मंत्रालय किसी संस्था के शीर्षक सम्बधित आवेदन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम कितना समय लेता है? इस संदर्भ मे सर्कुलर, आर्डर की प्रति, एवं दिशा निर्देशो की प्रति नियम उपलब्ध कराए।

5N क्या आपका विभाग किसी संस्था द्वारा बनाई गई किसी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाता है? जोकि किसी विभाग/संस्था के नाम से मिलती जुलती हो कौनसा विभाग इस प्रकार की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाता है? कौनसा विभाग इस प्रकार के फेस एकाउन्ट व अन्य शोशल साइटस पर प्रतिबंध लगाता है?

5O क्या आपका विभाग किसी टी.वी कार्यक्रम के शीर्षक पर भी प्रतिबंध लगाता है जैसे सीआईडी, एसीपी अर्जुन, क्राइम पेट्रोल, एनकाउंटर आदि।

5P Central Bureau of Investigation (CBI) & Central Bank of India (CBI) North Delhi Muncipal Council (NDMC) New Delhi Muncipal Corporation (NDMC) जिनकी शार्ट फार्म Abbreviation एक ही हैं। क्या दो विभाग जो Abbreviation use करते है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

**आशा है आप निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराएंगे।**


भवदीय

Jaikishan

जय किशन

सपुत्र स्व. श्री पतराम

निवासी-गांव बाजीत पुर, पोस्ट नांगल ठाकरान, दिल्ली-110039

दूरभाष-9350905439, दिनांक-19 मई 2014


संलग्न आई.पी.ओ. न. 23F 414495

मात्र दस रुपये

निर्धारित फीस के अनुसार